राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1138 / 2014 / कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।
......अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कमल ट्रेडर्स,
पुरानी सब्जी मण्डी, कोटा।
......प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोकरणा,
उप राजकीय अभिभाषक।
......अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक।
......प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08 / 09 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 78 / वैट / 12–13 / कोटा में पारित आदेश दिनांक 12.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् कर राशि रूपये 3,751 एवं शास्ति राशि रूपये 22,505 /– को अपास्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.08.2012 को सशक्त अधिकारी द्वारा रॉयल कार्गो मूवर्स, उदयपुर के कार्यालय की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम से जारी बिल संख्या 60 दिनांक 22.08.2012, बिल्टी संख्या 1274 दिनांक 28.08.2012 द्वारा अधिसूचित माल प्लास्टिक गुड्स परिवहनित किया जा रहा है, जिसके साथ संलग्न वैट–47 संख्या 2634699 दिनांक 21.05.2009 अवधिपार हो चुका है। सशक्त अधिकारी द्वारा अवधिपार वैट–47 संलग्न किये जाने को अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत अवधिपार घोषणा पत्र वैट–47 भूल से संलग्न किया जाना माना, एवं आरोपित कर व शास्ति जमा करवाना स्वीकार किया। इस पर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कर राशि रूपये 3,751 एवं शास्ति राशि रूपये 22,505 /– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को

लगातार..............2

अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की दृष्टि से अवधिपार वैट–47 संलग्न कर माल का परिवहन किया जा रहा था। इस बात की स्वीकारोक्ति प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के समय प्रस्तुत की गई है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वक्त जांच वाहन के साथ बिल, बिल्टी मौजूद थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वैट–47 विक्रेता व्यापारी को भिजवाया गया था, परन्तु परिवहनित माल समय पर डिस्पेच नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से भरा घोषणा पत्र वैट–47 अवधिपार हो गया। यह एक तकनीकी भूल है, जिस पर शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं होगा। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड की अपील संख्या 2505/2011/चुरू वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गोल्डन एक्सपोर्ट आदेश दिनांक 08.01.2013 का उद्धरण किया।** आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ बिल एवं बिल्टी संलग्न थे, परन्तु जो घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न था, वो अवधिपार हो चुका था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय **माननीय कर बोर्ड की अपील संख्या 2505/2011/चुरू वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गोल्डन एक्सपोर्ट आदेश दिनांक 08.01.2013** में अवधिपार घोषणा पत्र वैट–47 को एक तकनीकी भूल माना है, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा यह कही भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम धारा 76(6) के प्रावधानों का उल्लंघन कर करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.12.2013 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य